कहलगांव सुपर ताप बिजली परियोजना के लिये भू-अर्जन

***106. श्री हुक्मदेव नारायण यादव†**
श्री कैलाशपति मिश्र :

क्या ऊर्जा मंत्री 27 फरवरी, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 128 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कहलगांव सुपर ताप बिजली परियोजना के लिए भू-अर्जन हेतु कोई कार्यवाही शुरू कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भू-अर्जन का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा परियोजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभवना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि का अधिकांश भाग 1985-89 तक सोपान बद्ध रूप में प्राप्त हो जाने की आशा है। परियोजना में हो सकने वाले निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान हाथ में लिए जायेंगे । परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लेने तथा वित्तपोषण को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् प्रारम्भ [illegible] जाएंगे ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपसभापति महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि विद्युत के आपात् के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और वहां सभी चीजें बन्द है, कारखाने वगैरह भी बन्द हैं, खेती का काम भी बन्द पड़ा रहता है। तो सरकार को इस समय जो यह पिछड़ा राज्य हैं इसके लिये जल्दी से जल्दी कुछ सोचना चाहिए । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि भूमि लेने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है और सोपान बद्ध रूप में हो जाएगी, क्या सरकार ने उस जमीन के मुआवजे का रुपया जो किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा वह भेज दिया गया है जिससे कि किसानों को मुआवजा मिल जाए समय पर जमीन अर्जित हो जाए और किसानों की ओर से किसी तरह की कठिनाई न हो और जमीन मिल जाए । दूसरा इस में कहा गया है कि परियोजना में निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान हाथ में लिये जाएंगे। लेकिन यह भी कह दिया गया है कि निर्माण सम्बन्धी कार्य सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने तथा वित्तपोषण को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् प्रारम्भ किये जाएंगे। तो सरकार को जो निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना है वह और वित्तपोषण को जो अन्तिम रूप दिया जाना है वह कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और वित्त पोषण को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा जिससे कि हम बिहार वाले यह आशा बांधें कि इतने दिनों में यह काम चालू हो जाएगा और इतने दिनों के अन्दर निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् राज्य सरकार द्वारा अभी मुआवजे की दरें निर्धारित नहीं की गई है फिर भी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा एक करोड़ 80 लाख रुपया बिहार सरकार को दिया जा चुका है जिससे

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

कि वह किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा अदा कर सके और जमीन जल्दी से जल्दी कारपोरेशन को मिल जाए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न यह कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में इस काम को हाथ में ले रहे हैं या नहीं, उस के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। चालू वित्त वर्ष में 6 करोड रूपये का प्रावधान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा किया गया है जिसमें पांच करोड़ रूपया प्रोजेक्ट के कार्यों के लिए और एक करोड़ रूपया जो उसमे एसोसियेटिड ट्रांसमिशन सिस्टम है उस पर खर्च किया जाएगा लेकिन इससे जो वित्त पोषण और दूसरे निर्णय हैं क्योंकि इसमे आंशिक रूप से सोवियत सहायता से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा तो बातचीत जारी है और हमारा प्रयास यह है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू कर दिया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब तक इस प्रक्रिया में वे बढ़ रहे हैं और माननीय मंत्री जी शिव शंकर जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि बिहार सरकार को आपने इसमें पैसे दिये हैं इस प्रक्रिया में वे कर रहे हैं और इस सरकार के साथ वार्ता चल रही है। जल्दी से जल्दी, सरकार की यह जल्दी से जल्दी कब जल्दी से जल्दी होती है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती है और इस जल्दी से जल्दी के कारण तो हमारे धीरज टूट जाते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी की सीमा क्या होगी और इस सरकार से कितनी जल्दी आप अपनी वार्ता को प्रारम्भ कर के कब आप शुरू कर देंगे। मान्यवर, श्री भगवत झा आजाद जो भी कह रहे हैं उनका जिले का है, उनके क्षेत्र का है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जल्दी की कोई सीमा होगी जिससे इस सरकार के साथ बातचीत को अन्तिम रूप दे कर आप शुरू कर देंगे? मेरा यह भी कहना है कि केन्द्रीय सरकार के जरिये से भी वहां पर एक टीम ऑन दी स्पोट रहे बिहार सरकार के बारे में मेरा कहना यह है कि हमारे यहां एक कहावत है कोढ़ी बैल को पैना से मारते हैं तब चलता है। बिहार सरकार को कोढ़ी बैल को पैना से, लाठी से मार-मार कर के जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करा दें जिससे कि बिहार वालों की जो आशा है वह पूरी हो सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् बिहार सरकार की तरफ से इसमे पूरी, सहायता मिल रही है और उसी के कारण हमारे लिये यह सम्भव हो सका है कि हम इसी वर्ष में इस कार्य को करने के लिए अपने हाथ में ले रहे हैं। 117.2 एकड भूमि बिहार सरकार द्वारा 25 अप्रैल, 1984 को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को दे दी गई है। जहां तक वित्तपोषण या निवेश सम्बन्धी निर्णय है उसमें जितना समय लग रहा है उसके कारण इस प्रोजेक्ट की प्रगति बिलकुल प्रभावित नहीं होगी। जो काम शुरू करने के हैं वे सब इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिये जाएंगे।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, किसी सरकारी प्रोजेक्ट में जमीन एक्वायर करना और वित्तीय अनुदान का प्राप्त होना दोनों ही एक ऐसे व्यवधान होते हैं जिनकी वजह से वह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसमें तीन फैक्टर हैं। किसानों की जमीन ली जाती है, उचित मुआवजा नहीं मिलता। तब वे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने पर मैटर डिले कर दिया जाता है। कोर्ट भी स्टे दे देता है और कुछ दिनों तक काम ठप्प पड़ा रहता है र इसलिए जब तक आप जमीन एक्वायर

करके नहीं देंगे, उचित मुआवजा नहीं फिक्स करेंगे तब तक प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ेगा । आपने रुपया ट्रांसफर कर दिया है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपने बिहार सरकार को कभी पत्र लिखा है कि जमीन एक्वायर करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और किस स्टेज तक जमीन एक्वायर करने में सफलीभूत हुए हैं ? क्या बिहार सरकार ने कोई पत्र लिखा है ।

दूसरी बात । आपने अपने-जवाब के सिल-सिले में बताया कि रूस सरकार की सहायता से यह प्रोजेक्ट होने वाला है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रूस की सरकार से इस प्रोजेक्ट के संबंध में जो कुछ भी आपको एग्रीमेंट करना है या वार्तालाप करना है उस संबंध में आपका रूस के अधिकारियों से कितनी बार वार्तालाप हो चुका है, इसमें क्या प्रगति हुई है ? अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे कि यह प्रोजेक्ट बिहार गवर्नमेंट का कोढ़ी बैल है और उसको खोदने से ही चलता है । तो एसी बात नहीं है । वे भूल गये कि यह प्रोजेक्ट बहुत पहले का है । लेकिन इनकी सरकार जब आई तो यह प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो करके वेस्ट बंगाल चला गया है । शायद ये भूल गये हैं । यह कहलगांव का प्रोजेक्ट इनकी जनता रिजीम में कहां चला गया ? फरक्का वेस्ट बंगाल चला गया जिससे कि यह प्रोजेक्ट डिले हो गया । बिहार गवर्नमेंट के काम करने में किसी तरह की कमजोरी नहीं है क्योंकि आज के जो मुख्य मंत्री हैं जब वे यहां एनर्जी मिनिस्टर थे तो उन्हीं के प्रयास से यह प्रोजेक्ट पुन: टेकअप हुआ था । यह सर्वविदित है। इसलिए बिहार के मुख्य मंत्री ने स्वत: इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली है । इसलिए आप जमीन एक्वायर करने के संबंध में कितना कर सके हैं आपने रूस की सरकार से जो बातें की हैं और जो प्रगति हुई और उसके संबंध में जो एग्रीमेंट हुआ है, इन सबके संबंध में हम जानना चाहते हैं, यह हाउस जानना चाहता है कि क्या प्रगति हुई है ?

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : दोनों माननीय सदस्य बिहार से हैं इसलिए बाहर जाकर बात कर सकते हैं । पहले मैं जवाब दे दूं ।

श्रीमन्, जमीन के संबंध में मैंने पहले ही निवेदन किया कि 117.2 एकड़ भूमि बिहार शासन द्वारा एन०टी०पी०सी० को दी जा चुकी है और यह भी मैंने कहा कि जो वित्तीय वर्ष में चालू हो सकने वाले काम हैं उनका भी प्रावधान किया जा रहा है । इससे प्रोजेक्ट की प्रगति को भी प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा, इस बात से कि जो पूरी जमीन मांगी है वह अभी नहीं मिली है । तो इसलिए बिहार सरकार को दुबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं । हम समझते हैं कि इस कार्य में बिहार सरकार द्वारा संतोषजनक प्रगति की जा रही है । रूसी सहायता के सिलसिले में यह है कि दो सौ मिलियन रूबल्स की सहायता रूस सरकार के साथ भी इसी प्रोजेक्ट के लिए टाई अप की जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि हम जो निर्धारित समय है उसमें इस काम को शुरू भी कर देंगे और पूरा भी कर देंगे ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय उप-सभापति जी, मंत्री जी ने कहलगांव के प्रारंभ करने का शुभ समाचार दिया है । इसका धन्यवाद किसको दिया जाये । रामानन्द जी स्वयं लेना चाहते हैं तो ले लें । हम तो चाहते हैं कि बिहार के लिए कोई प्रोजेक्ट लिया जाये चाहे वह रामानन्द जी बनायें चाहे हुक्मदेव जी बनायें, हमारे लिए एक ही बात है । दूसरा प्रश्न भूमि के संबंध में अड़चन का प्रश्न आता है । इसमें सबसे बड़ी अड़चन

आती है कि जिनकी भूमि ली जाती है उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाता है कि उनको कुछ नौकरी दी जायेगी। आपने इस प्रोजेक्ट में कितनी भूमि के ऊपर नौकरी देने का प्रावधान किया है, यह मैं जानना चाहूंगा ताकि जो बाद में झंझट होते हैं, वह नहीं आएं।

दूसरी जानकारी मैं यह चाहूंगा कि यह जो 200 मिलियन रूबल्ज का आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर टोटल कास्ट कितनी आएगी ? कब तक आप इसको पूरा करने का लक्ष्य रख रहे हैं ?

आपने बताया कि इस वर्ष में छह करोड़ का प्रावधान किया है जोकि प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के लिए नहीं होगा, खाली इनफास्ट्रक्चर थोड़ा सा बनेगा, प्रोजेक्ट का वास्तविक काम प्रारम्भ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका प्रोजेक्ट बना है, जब तक वह कम्पलीट होता है, अगले तीन वर्षों में किस-किस वर्ष में कितना-कितना प्रावधान किया है, ताकि यह जो प्रोजेक्ट है समय पर पूरा हो सके क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सब से बड़ी कठिनाई आती है वह यह होती है कि फण्ड्स होते हैं. वह बाद में ड्राई-अप होने शुरु हो जाते हैं. कम मिलने लगते हैं।

तो मैं इसमें यह जानना चाहूंगा. क्योंकि रूस का इसमें समझौता है, उससे आपको सहायता मिल रही है. इसलिए आर्थिक दृष्टि से आप सुविधा में रहेंगे. तो अगले तीन वर्षों में कितना-कितना प्रावधान उसको लिए आप कर रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न जो आम जनता के लिए पूछा है, वह यह कि जितने एकड़ भूमि लेंगे, उस हिसाब से उनके लिए नौकरी . .

श्री उपसभापति : अब वह दोहराने की जरुरत नहीं है।

श्री आरिफ मौहम्मद खान : श्रीमन, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में जब भी कहीं भूमि ली जाती है, सरकार के सामान्यत. यह निर्देष हैं कि वहां पर ऐसे परिवार जो भूमि अर्जन से प्रभावित हुए हैं उनके कम से कम प्रति परिवार एक सदस्य को अनस्किल्ड जहां पर मजदूरों को लिया जाएगा वहां पर उनको नौकरी दी जानी चाहिए। यह सामान्यत: निर्देष हैं और इसका पालन करेंगे।

ईसके अलावा भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग प्रभावित होते हैं, उनको वहां पर सहायता की जा सके।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जानना चाहते है कि कब तक यह पूरा होगा, तो अभी जो इस समय हमने कार्यक्रम बनाया है, उसके अनुसार हम यह आशा करते हैं कि 1989-90 तक इसकी जो पहली 210 मेगावाट की यूनिट होगी; वह कमीशन हो जाएगी और उसके बाद हर छह महीने के इन्टरव्रल से बाकी जो 210 मेगावाट की तीन ईकाईयां होगी, वह भी 6 महीने के ईन्टरवल में चालू होती रहेगी।

अगले तीन वर्ष के लिए माननीय सदस्य जानना चाहते हैं—अब क्योंकि यह प्रोजेक्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिया जाना है, इसलिए मेरे लिये यह इस वक्त वता पाना सम्भव नहीं हो सकेगा कि हर वर्ष इस पर हम कितना रुपया खर्च करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा . मेरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। अब 117.5 एकड़ जमीन. . .

श्री शिव शंकर : 117.2।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 117.2 एकड़ भूमि लेकर दी जा चुकी है। उस जमीन के किसानों को मुआवजा देने में क्या प्रगति है और किस रेट से और किस

शरा से किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा —मार्केट रेट से या किस रेट से मुआवजा देंगे और अभी तक कितना दिया जा चुका है और अगर नहीं दिया गया है, तो क्या कारण है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन अभी मैंने पहले ही सप्लीमेंटरी के उत्तर में निवेदन किया था कि हम बिहार सरकार को एक करोड़ अस्सी लाख रुपया दे चुके हैं जिससे वह जमीन का मुआवजा अदा कर सकें, लेकिन अभी तक शायद बिहार शासन द्वारा मुआवजे की दरें, अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं। हम उनसे यह कह रहे हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए और यह उम्मीद करते हैं— क्योंकि बिहार सरकार भी इस बारे में चिंतित होगी और जैसे ही अंतिम दरें निर्धारित हो जाती हैं, क्योंकि रुपया उनके पास पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए मुआवजा देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मुआवजा मार्केट रेट से या किस रेट से दिया जाएगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : लैंड एक्वीजिशन आफिसर को बिहार सरकार ने पहले ही उसके लिए नियुक्त कर दिया है--इसलिए मैंने कहा कि चूंकि वह मामला चल रहा है, अभी उसमें अंतिम दरें निर्धारित नहीं की गई हैं।

Inter-corporate investments by M/s. ITC Limited

*107. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to order a special enquiry against M/s. ITC Limited for violating rules for Inter-corporate investments without proper clearance from Government;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to withdraw the "Chairman-Emeritus" post as the company has been violating Government rules; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) and (b) An inspection of the books of account and other record of the company was carried out under Section 209A of the Companies Act recently. At the time of the said inspection the matter relating to investments made by ITC Limited in other companies was also looked into. In view of this, there is no proposal to order a special enquiry in this regard.

The inspection report received in February, 1984 refers to certain investments of ITC Limited made, prima facie, in contravention of Section 372 of the Companies Act, in three investment companies, which have since become its wholly-owned subsidiaries. This matter is under examination.

(c) No violation of Government rules has come to the notice of the Government in this regard and, therefore, the question of withdrawing the post of Chairman-Emeritus does not arise.

श्री रामभगत पासवान : उपसभापति जी, मंत्री महोदय ने हमारे प्रश्न का जवाब बहुत अस्पष्ट दिया है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। आप ने कहा है कि धारा 209 ए के अन्तर्गत कम्पनी के दस्तावेज और बहियों का निरीक्षण किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो जांच की है उस की डिटेल आप अभी देने की कृपा करें जिस के आधार पर आप ने कहा है कि फरदर स्पेशल इन्क्वायरी बिठाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो उत्तर में यही है कि आई० टी० सी० कम्पनी ने तीन इनवेस्टमेंट्स